# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 39 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 06.07.2022

बैरवा धर्मशाला कुण्ड विकास संस्था निवाई जरिये अध्यक्ष श्री श्योजीलाल पुत्र बद्रीलाल जाति बैरवा निवासी राज की गली ग्राम लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला—टोक

—रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 26.11.2015 मिसल नम्बर 1191 / 2015**

उपस्थिति : (1) श्री महेश शर्मा,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना,नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

## निर्णय

दिनांक 01.01.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 26.11.2015 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 864 रकबा 2 बिस्वा किस्म गै0मु0खाल वाके ग्राम निवाई तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर धर्मशाला का निर्माण कर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 3 / रू. पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त कर रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील / लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट बैरवा समाज कुण्ड विकास संस्था निवाई का अध्यक्ष है । उक्त संस्था पंजीकृत संस्था है।उक्त संस्था की कार्यकारिणी द्वारा दिनांक 30.06.2022 को निर्णय कर अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया है।अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.11.2015 से बैरवा समाज धर्मशाला का भूमि खसरा नम्बर 864 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा पर अतिक्रमण मानकर उसे बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा " बैरवा समाज धर्मशाला " के नाम से नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट संस्था तथा समाज के किसी भी प्रतिनिधि को बिना नोटिस

जिला कलेक्टर
टोंक

जारी किये हुए उक्त आदेश पारित किया है।न्यायालय ने उक्त पत्रावली में बैरवा समाज धर्मशाला की प्रोपर उपस्थिति मानते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है, जबकि नोटिस पर तामील अम्बालाल नाम के व्यक्ति से करवाई गई है,वह व्यक्ति कौन है,उसके पिता का क्या नाम है तथा वह कहां का निवासी है अंकित नही है तथा आदेशिका पर लक्ष्मीनारायण के हस्ताक्षर करवाये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बैरवा समाज धर्मशाला की ओर से किस अधिकृत व्यक्ति को अधिकृत किया गया हो का,उक्त पत्रावली में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने भूमि खसरा नम्बर 864 में अपीलान्ट की धर्मशाला होना मानते हुए उक्त आदेश पारित किया है,जबकि बैरवा समाज धर्मशाला खसरा नम्बर 864 में आती हो इस बाबत् कोई मौका रिपोर्ट अथवा तथ्यात्मक रिपोर्ट हल्का पटवारी से तलब नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट के बिना ही उक्त आदेश विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है। धारा 91 की रिपोर्ट मौके पर जाकर पटवारी द्वारा नाप–चौक कर बनाई गई हो ऐसा भी पत्रावली मे कोई साक्ष्य अंकित नही है तथा उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय बैरवा समाज के किसी भी प्रतिनिधि को भी मौके पर नही बुलाया गया है।अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 864 में बैरवा समाज धर्मशाला का अतिक्रमण होना माना है,जबकि उक्त भूमि नगर पालिका निवाई में स्थित आबादी भूमि है।अपीलान्ट की धर्मशाला का निर्माण सन् 1978 में किया गया था,जो पुख्ता दो मंजिला बनी हुई है । धर्मशाला को नियमन करवाने हेतु अपीलांट ने नगर पालिका निवाई में आवेदन कर रखा है। तत्कालीन तहसीलदार निवाई ने अपीलान्ट को समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि उक्त आदेश को निरस्त कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु पुनः पत्रावली को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना विधि संगत एवं न्याय संगत है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 864 रकबा 2 बिस्वा किस्म गै0मु0खाल वाके ग्राम निवाई तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर धर्मशाला का निर्माण करने पर तहसीलदार निवाई द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुये है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलांट की और से अम्बालाल की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 864 रकबा 2 बिस्वा किस्म गै0मु0खाल वाके ग्राम निवाई तहसील निवाई पर धर्मशाला का निर्माण का निर्माण कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है।

जिला कलेक्टर
टोंक

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलान्ट बैरवा समाज कुण्ड विकास संस्था निवाई का अध्यक्ष है,उक्त संस्था पंजीकृत संस्था है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा " बैरवा समाज धर्मशाला " के नाम से नोटिस जारी किया गया है,जो नियमानुसार सही नही है। नोटिस पर तामील अम्बालाल नाम के व्यक्ति से करवाई गई है। आदेशिका दिनांक 26.11.2015 पर लक्ष्मीनारायण के हस्ताक्षर करवाये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बैरवा समाज धर्मशाला की ओर से किस अधिकृत व्यक्ति को अधिकृत किया गया हो का,उक्त पत्रावली में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है,उक्त भूमि नगर पालिका निवाई में स्थित आबादी भूमि है। धर्मशाला को नियमन करवाने हेतु अपीलांट ने नगर पालिका निवाई में आवेदन कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार निवाई द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.11.2015 अपास्त किया जाता है एंव तहसीलदार निवाई को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि समस्त रिकार्ड व मौके की जांच कर तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ.ओम प्रकाश बैरवा )
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते